

राजस्थान चिकित्सा सेवा निगम

स्वास्थ्य भवन, तिलक मार्ग, सी-स्कीम, जयपुर 302005

फोन नः 0141-2228066, फैक्स नः 0141-2228065 ई-मेल : [rmsc@nic.in](mailto:rmsc@nic.in)

CIN:U24232RJ2011SGC035067

Website: [www.health.rajasthan.gov.in](http://www.health.rajasthan.gov.in)

क्रमांक : प.05(पीएफ)/आरएमएससी/क्यू.सी./2023-24/1543 दिनांक : 20.09.2023

कार्यालय आदेश

M/s Meril Diagnostics Pvt. Ltd., Second Floor, D1-D3, Meril Park, Survey No.135/2/B&174/2, Muktanand Marg, Chala, Vapi- 396191, Gujarat की निविदा क्रमांक F.02(256)/RMSCL/Proc./Drug/NIB-22/2018/1276 दिनांक 19.11.2018 के तहत औषधि Anti B Blood Grouping Serum IP (Anti B Mono Clonal Serum)[226] की दरों के न्यूनतम होने के कारण अनुमोदित कर दर अनुबन्ध किया गया था। दर अनुबन्ध के आधार पर फर्म को उक्त औषधि सप्लाई करने हेतु क्रय आदेश क्रमांक - 2390 दिनांक 04.10.2019, 397 दिनांक 05.05.2020, 3301 दिनांक 08.01.2020, 3670 दिनांक 25.02.2020 & 1944 दिनांक 21.11.2020 जारी किये गये थे।

उक्त क्रय आदेशों की पालना में सप्लाई की गयी औषधि को Testing हेतु Govt. Drug Testing Laboratory में भिजवाया गया। Govt. Drug Testing Laboratory से प्राप्त रिपोर्ट में उक्त औषधि के बैच (MI111902, MI072002, MI022002, MI032008, MI022110) को test for Intensity -B में फेल होने के कारण अमानक कोटि का घोषित किया गया। इस संबंध में निर्माता फर्म को नोटिस दिया जाकर स्पष्टीकरण मांगा गया।

औषधि के उक्त सभी बैच का वैधानिक नमूना औषधि नियंत्रक राजस्थान द्वारा लिया जाकर जाँच हेतु Govt. Drug Testing Laboratory में भिजवाया गया।

Govt. Drug Testing Laboratory से उक्त बैचों की रिपोर्ट प्राप्त होने पर प्रकरण को अनुशासनात्मक समिति की बैठक दिनांक 18.08.2023 को आयोजित की गई, में रखा गया। फर्म को सुनवाई के लिये अवसर दिया गया। Govt. Drug Testing Laboratory ने औषधि के बैच को अमानक कोटि का घोषित किया है। फर्म द्वारा अमानक कोटि की औषधि आपूर्ति की गई है जो कि औषधि एवं प्रसाधन सामग्री अधिनियम 1940 एवं नियमावली 1945 के प्रावधानों व निविदा की शर्त के तहत Not of Standard Quality की श्रेणी में हैं।

निविदा की शर्त संख्या 19(3) के उल्लंघन के दोषी होने के कारण विवर्जन संबन्धी दिशा-निर्देश (Guidelines for Blacklisting/Debarring) के सम्बन्ध में जारी निर्देश क्रमांक F.5/RMSC/QC/Test/2018-19/952 दिनांक 28/08/2018 के क्लॉज 4.5(2) के तहत निगम की अनुशासनात्मक समिति की अनुशंसा के आधार पर निर्माता फर्म M/s Meril Diagnostics Pvt. Ltd., Second Floor, D1-D3, Meril Park, Survey No.135/2/B&174/2, Muktanand Marg, Chala, Vapi-396191, Gujarat की औषधि Anti B Blood Grouping Serum IP (Anti B Mono Clonal Serum)[226] को यह आदेश जारी करने की तिथि से 01 (एक) वर्ष के लिए ब्लैकलिस्ट किया जाता है। उपरोक्त कार्यवाही पूर्व में जारी किये गये क्रयादेश/क्रय की गई अथवा रीफ्लेसमेन्टशुदा प्रश्नगत औषधि, जो गुणवत्ता के मानकों के अनुरूप पाई जाती हैं, पर बिना कोई प्रतिकूल प्रभाव डाले की गई है।

44  
अनुपमा जोरवाल  
आइ.ए.एस  
प्रबन्ध निदेशक

क्रमांक : प.05(पीएफ)/आरएमएससी/क्यू.सी./2023-24/1543 दिनांक : 20.09.2023  
प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है :

1. अतिरिक्त मुख्य सचिव, चिकित्सा, स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग, राजस्थान, जयपुर।
2. प्रमुख शासन सचिव, चिकित्सा शिक्षा विभाग, राजस्थान, जयपुर।
3. मिशन निदेशक, एन.एच.एम. राजस्थान, जयपुर।

